Manufacture of passenger cars

*170 SHRI GAYA SINGH:
SHRI GURUDAS DAS GUPTA:

Will the Minister of INDUSTY be pleased to state:

(a) which are the companies manufacturing passenger cars in the country, their annual production during the years 1994-95, 1995-96 and 1996-97; and

(b) the projected demand for cars in the year 1997-98?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) The companies manufacturing cars in the country are M/s. Daewoo Motors; M/s. General Motors; M/s. Hindustan Motors; M/s. Mercedes Benz India Ltd.; M/s. Maruti Udyog; M/s. Mahindra Ford; M/s. PAL Peugeot; M/s. PAL and M/s. TELCO.

The total annual production capacity and actual production of car manufacturing companies during 1994-95, 1995-96 and 1996-97 is gien below:-

Total Production Capacity			Total Production		
1994-95	1995-96	1996-97	1994-95	1995-96	1996-97
439040	630040	780000	264366	348240	411145

(b) The working group on Transport Equipment of Planning Commission for 9th Plan have assessed the demand for passnger cars for 1997-98 as 4,80,000 numbers.

Vigilance Committee to check the misutilisation of funds under SCPS

*171. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether his Ministry has set up a vigilance committee at the national level to cneck the diversion and misutilisation of funds earmarked under Special Component Plan Scheme; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA) (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Autonomy to NTPC for mobilisation of funds

*172. DR. Y. LAKSHMI PRASAD:
SHRI SANJAY DALMIA:

Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether the National Thermal Power Corporation has sought autonomy to take its own decisions in making investment and mobilisation of funds; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER (SHRI YOGINDER K. ALAGH): (a) and (b) The Union Government has decided to grant enhanced autonomy and delegation of decision-making authority in respect of investments and fund mobilsation to NTPC. Which has been identified as one of the nine Central public sector undertakings having the potential to develop into a global giant.

खादी उत्पादों की बिक्री पर कमीशन दिया जाना

*173. श्री राघवजी: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों के दौरान खादी उत्पादों की बिक्री पर दिए जा रहे कमीशन की दर में कमी की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कमीशन या छूट की दर में यदि कोई कमी [illegible] गई है तो —

(घ) खादी के उत्पादन से मिलने वाले रोजगार के अवसरों को ध्यान में रखते हुए क्या पहले दी जाने वाली छूट को बहाल किया जाएगा; यदि नहीं, तो इसके या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) खादी उत्पादों की बिक्री पर कोई कमीशन नहीं दिया जाता है। तथापि, सरकार द्वारा खादी तथा खादी से संबंधित वस्तुओं की बिक्री पर वर्ष दर वर्ष आधार पर छूट दी जाती रही है। वर्ष 1996-97 के दौरान सूती खादी पर सामान्य छूट 15% से घटाकर 10% कर दी गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान खादी तथा खादी से संबंधित वस्तुओं पर दी गई छूट का ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है:—

क्र॰ सं॰	मद	1994-95		1995-96		1996-97	
		सामान्य छूट	90 दिन के लिए विशेष छूट	सामान्य छूट	90 दिन के लिये विशेष छूट	सामान्य छूट	90 दिन के लिये विशेष छूट
1.	सूती खादी	15%	10%	15%	10%	10%	10%
2.	*ऊनी खादी	10%	10%	10%	10%	10%	10%
3.	सिल्क खादी						
	1. रीलड खादी	शून्य	10%	शून्य	10%	शून्य	10%
	2. काती गई खादी	10%	10%	10%	10%	10%	10%
4.	पॉली वस्त्र	शून्य	10%	शून्य	10%	शून्य	10%

*इनमें कम्बल और कम्बलियां शामिल हैं।

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान सामान्य छूट की दर में कटौती मुख्यतः संसाधन की कमी के कारण की गई है।

(घ) खादी का उत्पादन, रोजगार सृजन तथा बजटीय संसाधनों की उपलब्धता जैसे घटकों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा वर्ष दर वर्ष आधार पर छूट निर्धारित की जाती है। यह उल्लेखनीय है कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने खादी के संवर्धन एवं बिक्री के लिए छूट योजना के स्थान पर बाजार विकास सहायता (एम डी ए) योजना लागू करने की सिफारिश की है

बिहार के औद्योगिक क्षेत्र में पूंजीनिवेश

*174. **श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दो वर्ष पूर्व बिहार में औद्योगिक क्षेत्र में 8000 करोड़ रुपए का निवेश करने का लक्ष्य रखा गया था किन्तु आज की तारीख तक मात्र 20 करोड़ रुपए का ही पूंजीनिवेश किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इतना कम पूंजीनिवेश होने के क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उद्यमियों ने इस राज्य में अपनी इकाइयां स्थापित करना प्रारंभ कर दिया था किन्तु उन्हें इन परियोजनाओं को अधूरी छोड़ने पर विवश किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार इस राज्य में पूर्ण पूंजीनिवेश करने के लिए क्या उपाए कर रही है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई वित्तीय लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, राज्य सरकार से प्राप्त अद्यतन सूचना से इस बात का संकेत मिलता है कि उदारीकरण के बाद से बिहार में बड़े, मध्यम, लघु, अतिलघु, एवं शिल्प उद्योगों में 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जा चुका है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।